प्रेस विज्ञप्ति
29.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 में परिभाषित तथा धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धन शोधन के अपराध के संबंध में फैसल जावेद शेख, उनकी पत्नी अल्फिया शेख तथा 10 अन्य के विरुद्ध दिनांक 24.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने मामले में आरोपियों को संज्ञान-पूर्व नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

पीएमएलए के अंतर्गत जांच, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दायर परिवाद के आधार पर प्रारंभ की गई। एनसीबी के परिवाद से यह उजागर हुआ कि मुख्य आरोपियों में से एक फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से प्रतिबंधित मेफेड्रोन (एमडी) मादक पदार्थ की खरीद करता था। फैसल शेख एवं उसकी पत्नी अल्फिया शेख ने एमडी मादक पदार्थ की बिक्री के लिए एक सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापित किया था तथा वे इसे समीया खान, नासिर यासीन खान आदि को बेचते थे, जो आगे इसे अपने ग्राहकों को बेचते थे।

जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि फैसल जावेद शेख एवं उसकी पत्नी अल्फिया शेख अवैध रूप से अर्जित नकदी को वैध धन के रूप में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के एकीकरण (Integration) के लिए अपने तथा अपने सहयोगियों के नाम पर खोली गई फर्मों का उपयोग किया, जबकि वास्तव में इन फर्मों के माध्यम से कोई वास्तविक अथवा वैध व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, अल्फिया फैसल शेख एवं फैसल जावेद शेख मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित नकदी अपने निकट सहयोगियों, जिनमें फैजान मोहम्मद शफी शेख भी शामिल है, को उपलब्ध कराते थे। फैजान मोहम्मद शफी शेख ने अपने एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान मैसर्स फैज इम्पेक्स, मुंबई तथा अन्य सहयोगियों के माध्यम से उक्त धनराशि को अपने, अपने सहयोगियों एवं शेल कंपनियों के अनेक बैंक खातों के जरिए प्रवाहित किया। इस धनराशि का एक भाग पुनः मुख्य आरोपी अल्फिया फैसल शेख, फैसल जावेद शेख तथा उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया, जिसका बाद में अचल संपत्तियों की खरीद में उपयोग किया गया।

पूर्व में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत मुंबई स्थित फ्लैटों आदि के रूप में 7 अचल संपत्तियों, जिनका मूल्य 5.88 करोड़ रुपये है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। साथ ही, दिनांक 08.10.2025 को आरोपियों अर्थात अल्फिया शेख, फैसल शेख एवं उनके सहयोगियों के परिसरों पर की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान 42 लाख रुपये नकद, लगभग 1.76 करोड़ रुपये मूल्य के 1.6 किलोग्राम आभूषण, लगभग 56 लाख रुपये मूल्य के तीन प्रयुक्त लक्जरी वाहन तथा आरोपियों के 12 बैंक खाते जब्त/फ्रीज किए गए थे।

मामले में आगे की जांच जारी है।

आरोपी फैसल एवं अल्फिया शेख द्वारा स्थापित धन प्रवाह (मनी ट्रेल) नेटवर्क का सारांश फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है।

